

संख्या. I-40014/34/2016- रा.भा. 103
महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस
गृह मंत्रालय /भारत सरकार
खंड -4 कें. का.परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-03

176

दिनांक 02-03-17

कार्यालय जापन

विषय:- भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नव गठित कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करने के संदर्भ में।

गृह मंत्रालय की दिनांक 27 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं० 12017/01/2012- हिंदी (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के निम्नलिखित कार्यालयों जिनमें कार्यरत 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, को संघ के शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग हेतु राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है:-

1. महानिरीक्षक (चिकित्सा), रैफरल चिकित्सालय, भा०ति०सी०पु० बल ।
2. उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय (डिब्रूगढ़), भा०ति०सी०पु० बल।
3. उप महानिरीक्षक, आर०टी०सी० करैरा, भा०ति०सी०पु० बल ।
4. उप महानिरीक्षक, माउन्टेन ड्राइविंग स्कूल, अल्मोडा, भा०ति०सी०पु० बल ।
5. उप महानिरीक्षक, सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल, शिवपुरी, भा०ति०सी० पु० बल।
6. उप महानिरीक्षक, सी०टी०सी०, अलवर, भा०ति०सी०पु० बल।
7. सेनानी, 27वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पु० बल ।
8. सेनानी, 50वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पु० बल ।
9. सेनानी, 54वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पु० बल ।

2- अतः इन अधिसूचित कार्यालयों के प्रमुखों से यह अनुरोध है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मिकों को अपना सरकारी कामकाज केवल हिंदी में किए जाने हेतु व्यक्तिशः आदेश जारी करना सुनिश्चित करवाएं और इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई से महानिदेशालय को भी अवगत कराया जाए।

संलग्न : अधिसूचना की प्रति


(आर.के. पटारिया)
उप महानिरीक्षक(संगठन)

सेवा में,

1. महानिरीक्षक (चिकित्सा), रैफरल अस्पताल, भा०ति०सी०पु० बल।
2. उ.म.नि.(डिब्रूगढ़)/ आर.टी.सी.-करैरा/ माउन्टेन ड्राइविंग स्कूल/ एस.टी.सी. (शिवपुरी / सी.टी.एस.(अलवर) ।
3. सेनानी, 27वीं /50वीं एवं 54वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पु० बल।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक (राजभाषा) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 27 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं० 12017/01/2012- हिंदी के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ ।
2. गार्ड मिसिल ।


(आर.के. पटारिया)
उप महानिरीक्षक(संगठन)
महानिदेशालय भा०ति०सी०पु० बल